

—: आदर्श उपविधियाँ :—

1. नाम :—

इस समिति का नाम उत्तराखण्ड प्रादेशिक को-आपरेटिव यूनियन लि० होगा। इन उपविधियों में इसका उल्लेख पी०सी०यू० अथवा यूनियन नाम से भी किया जायेगा।

2. मुख्यालय का पता :— डी-93, रेसकोर्स, देहरादून।

3. कार्यक्षेत्र :— यूनियन का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य तक सीमित होगा।

4. परिभाषा :—

(1) जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो तो उन उपविधियों में:—

(क) 'यूनियन' का तात्पर्य उत्तराखण्ड प्रादेशिक को-आपरेटिव यूनियन लि० से है और उसे पी०सी०यू० से भी अभ्युद्दिष्ट किया जा सकेगा।

(ख) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 (अधिनियम 05, 2003) से है तथा जैसा वह समय-समय पर बाद में संशोधित होता रहेगा।

(ग) 'नियमावली' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 से है।

(घ) 'नियम' का तात्पर्य इस समिति अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से हैं।

(ङ) 'उपविधियों' का तात्पर्य यूनियन की तत्समय प्रचलित निबंधित उपविधियों से है।

(च) 'निबंधक' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 (1) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निबंधक से है।

(छ) 'पर्यवेक्षक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जिसे यूनियन के क्षेत्राधिकारी में आने वाली सहकारी संस्थाओं के पर्यवेक्षण हेतु नियमानुसार नियुक्त किया गया हो।

(ज) 'कामदार' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जिसे पर्यवेक्षक के सहायतार्थ नियुक्त किया गया हो।

(झ) 'प्रबन्ध समिति' का तात्पर्य समिति की ऐसी प्रबंध कमेटी से है जिसे अधिनियम की धारा 29 के अधीन समिति के प्रबंध का कार्य सौंपा गया हो।

(ञ) 'राज्य सरकार' से तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकारी से है।

(ट) 'अधिकतम दायित्व' का तात्पर्य उस अधिकतम धनराशि से है, जिसे फेडरेशन उधार ले सकता है। इसके अन्तर्गत अंशपूँजी सम्मिलित नहीं होगी।

(ठ) 'स्वाधिकृत पूँजी' या 'निजी पूँजी' का तात्पर्य समिति की संचित हानियों को यदि कोई हो, निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित मदों के योग से है:—

1. दत्त अंश पूँजी
2. संचित रक्षित राशि
3. अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित सहकारी शिक्षा निधि।
4. सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से स्थापित निधियों तथा विशेष रिजर्व्स।

- (2) अधिनियम के नियमों में परिभाषित शब्द और पद जिनका उपयोग इन उपविधियों से किया गया है, का जब तक प्रसंग द्वारा अन्य अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट है।

05. (अ) यूनियन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1. सहकारी आन्दोलन का विकास करना, उसे मजबूत बनाना और उसकी अभिरक्षा करना, संचालन सहकारिता को इसके विभिन्न रूपों में सुसंगठित करना और उसकी समुन्नति करना, सहकारी नीति सम्बन्धी विषयों में सहकारी विभाग को सुझाव देना।
2. यूनियन की गतिविधियों का (अ) भारत या भारतेत्तर ऐसे सहकारी संगठनों के साथ तथा (ब) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभागों के साथ समपदीकरण स्थापित करना जिनके उद्देश्य पूर्णतः या आंशिक रूप से यूनियन के उद्देश्यों के समान हो।
3. सामान्य प्रयासों की सफलता हेतु राज्य भर की सहकारी संस्थाओं को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में लाना और उनके मध्य सामुदायिक लाभ की भावना उत्पन्न करना।
4. सहकारी सिद्धान्तों एवं उनके प्रयोगों का प्रसार करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाना और इसके लिए एक मुद्रणालय (छापेखाने) तथा एक पुस्तकालय का निर्माण करना, सहकारिता एवं ग्राम-विकास तथा उनसे सम्बन्धित विषयों पर समाचार पत्रों एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन करने और सहकारिता एवं उसके सहयोगी विषयों से सम्बन्धित दृश्य श्रव्य साधनों जैसे चलचित्रों आदि के उत्पादन की व्यवस्था करना और सहकारी प्रचार-वाहनों के रखरखाव की व्यवस्था करना एवं स्वयं उनको रखना और खर्च उठाना, सम्मेलन, नाटक, प्रदर्शनियों आदि वाद-विवाद एवं लेख प्रतियोगिताओं तथा अध्ययन भ्रमण गोष्ठियां संगठित करना।
5. सहकारी समितियों के वैतनिक एवं अवैतनिक कार्य-कर्ताओं तथा निबन्धक की अनुमति से अन्य सम्बन्धित गैर सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों, यदि सम्भव हो, को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना इस प्रयोजन हेतु सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का धारण, संचालन, प्रसाशन एवं नियन्त्रण करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, परीक्षा लेना तथा प्रमाण-पत्र देना।
6. सहकारी समितियों के सदस्यों, संभावित सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं युवकों व महिलाओं को तथा विद्यालयों व अन्य संगठनों में सहकारी दर्शन सिद्धान्त एवं व्यवहार की शिक्षा की व्यवस्था हेतु सहकारी शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। इस प्रयोजना हेतु सचल इकाईयों की स्थापना, संचालन एवं प्रशासन करना।
7. सहकारिता से सम्बद्ध समस्याओं के अध्ययन तथा उनसे सम्बन्धित शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना।
8. सहकारी समितियों के सदस्यों में नैतिक, भौतिक एवं सामाजिक सुधार लाने का प्रयास करना।
9. अधिनियम और नियम में की गई व्यवस्था के अनुसार यूनियन के समस्त कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना करना तथा उसके रख-रखाव की व्यवस्था करना।
10. इन उपविधियों के अनुसार यूनियन की आय के साधनों की वृद्धि करना तथा इस प्रकार बढ़ाई हुयी आय का उचित उपयोग करना।
11. – सामान्य/जीवन बीमा संबंधी व्यवसाय/कार्य किसी बीमा कम्पनी की एजेन्सी लेकर अथवा बीमा कम्पनी के रूप में कार्य करना।

12. जिला/केन्द्रीय बैंकों के साथ पारस्परिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना और जिला सहकारी यूनियनों, यदि कोई हो और अन्य समितियों जिनके उद्देश्य यूनियन के उद्देश्य के समान हो, के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
13. निबन्धक की अनुमति से सहकारिता आन्दोलन के प्रोत्साहन हेतु कृषि एवं कृषियेत्तर व्यवसाय के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु क़य एवं विपणन व्यवसाय करना।
14. कृषि बागवानी, औषधीय एवं सगन्ध पादप एवं औद्योगिकी व्यवसाय के प्रोत्साहन, संवर्धन, शोध हेतु सहकारिताओं व अन्य संस्थाओं के माध्यम से व्यवसाय एवं विपणन सम्बन्धी कार्य।
15. अक्षय ऊर्जा, सूक्ष्म जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु समस्त को प्रेरित करना एवं इसके प्रचार-प्रसार के हेतु राज्य सरकार व संबधित विभागों के सहयोग से सहकारिताओं के माध्यम से व्यवसाय व संवर्धन सम्बन्धी कार्य।
16. यूनियन के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण व मार्ग निर्देशन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां करना अथवा सहकारिता विभाग या सहकारी समितियों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाओं को प्रतिनियुक्ति पर लेना।
17. राज्य की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को बहुधन्धी बनाये जाने के उद्देश्य से उनके लिए विविध कार्य योजनाएँ तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
18. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन (National Cooperative Union Of India) द्वारा सहकारी शिक्षा, प्रचार-प्रसार व सहकारी प्रशिक्षण हेतु निर्धारित नीतियों को उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित कराना।
19. भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Cooperative Training) से संबद्ध रहते हुए उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार करना।
20. उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी शोध संस्थान के रूप में कार्य करना।

(ब) गौण उद्देश्य:-

1. यूनियन के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार सहकारी पर्यवेक्षकों एवं कामदारों की भर्ती एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
2. यूनियन की आवश्यकताओं के अनुसार अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल एवं अचल सम्पत्ति को क़य, लीज़, दान, प्रतिदान, अदला-बदली के माध्यम से अर्जित करना।
3. अधिनियम की धारा 116 के अन्तर्गत रहते हुये अपनी मुख्य व्यवसाय हेतु अन्य सहकारी समितियों के साथ सहभागिता अथवा निजी प्रतिष्ठानों, व्यक्तियों, कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश करना।
4. मुख्य व्यवसाय की पूर्ति के लिए सहकारी शोध से सम्बन्धित कार्यों को लेना अथवा प्रोत्साहित करना।
5. अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने सदस्यों से अमानतें, उपहार, चल-अचल सम्पत्ति अथवा दान प्राप्त करना।
6. अपने मुख्य व्यवसाय की पूर्ति के लिए फ़ैडरेशन के उप कार्यालय, शाखायें आदि स्थापित करना।
7. अपने व्यवसाय में वृद्धि एवं विस्तार लाने के उद्देश्य से निबन्धक की स्वीकृति उपरान्त अपने फ़ैडरेशन के संचालकों एवं कर्मचारियों को सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु देश-विदेश में भ्रमण, यात्राएँ कराना।
8. मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो फ़ैडरेशन एवं उसके सदस्यों के हितों के अनुकूल या अनुशांगिक हो।

06. (अ) सदस्यता:-

सदस्य समितियाँ (साधारण सदस्य)-

1. शीर्षस्थ समितियाँ।
2. राज्य भण्डारागार निगम।
3. उत्तराखण्ड राज्य में बैंकिंग व्यवसाय करने वाली समस्त सहकारी संस्थाएँ।
4. उत्तराखण्ड राज्य में निबन्धित केन्द्रीय समितियाँ।
5. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार।
6. कोई निगमित निकाय के उपरोक्त खण्डों के अन्तर्गत न आता हो और जिसके लिये निबन्धक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो।
7. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी विपणन समितियाँ।
8. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ।
9. प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ।

(ब) नाम मात्रिक सदस्य :-

1. वह व्यक्ति जिसके साथ यूनियन कारोबार करती हो या करने का विचार रखती हो, नाम मात्र सदस्य बनाया जा सकता है।
2. नाम मात्र सदस्य को यूनियन के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न वह संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए पात्र होगा, और न मतदान करने का अधिकारी होगा।

(स) सदस्यता के अधिकारों के सम्बन्ध में :-

1. यूनियन का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा, जब तक उसने सदस्यता के सम्बन्ध में यूनियन को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।
2. यूनियन के सदस्य को चाहे, यूनियन की पूंजी में हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, यूनियन के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा।
प्रतिबन्ध यह है कि—
यदि कोई सहकारी समिति, यूनियन की सदस्य हो, तो ऐसी सहकारी समिति के ऐसे यूनियन के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा।
3. प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति यूनियन के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।
4. सदस्य की अर्हताये, अनर्हताये, मताधिकार, अपनयन, निष्कासन और दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार की होगी, जिस प्रकार अधिनियम, नियमों और इन उपविधियों में निर्दिष्ट हों।
5. यूनियन की सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र प्रबन्ध निदेशक को दिया जायेगा जो प्रार्थना-पत्र को यथाशीघ्र यूनियन की प्रबन्ध कमेटी के समक्ष यूनियन की सदस्यता दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय देने के लिए प्रस्तुत करेगा, सदस्यता दिये जाने या न दिये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के 35 दिनों के भीतर निर्णय लिया जायेगा तथा निर्णय के की सूचना आवेदक को निर्णय लिये जाने के सात दिन के भीतर दी जायेगी।
6. यदि प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय न लिया गया हो, और उसकी सूचना आवेदक को साठ दिन के भीतर न दी जाये तो ऐसा प्रार्थना पत्र अस्वीकार समझा जायेगा।

7. यूनियन की सदस्यता हेतु प्रत्येक समिति को कम से कम एक अंश जिसका मूल्य पांच हजार रुपये होगा, क्रय करना अनिवार्य होगा परन्तु किसी भी समिति के प्रतिनिधि को यूनियन के निर्वाच में भाग लेने हेतु प्रत्येक सम्बन्धित समिति के यूनियन में कम से कम पांच अंशों का धारण करना अवश्य होगा।
8. यदि यूनियन चाहें तो कोई सहकारी समिति या सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत या निगमित निकाय यूनियन की सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा जो ऐसे निकाय के नियंत्रित करने वाली विधि या उपविधि के उपबन्धों के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारी को अपील की जा सकती है।
9. सदस्यता के अस्वीकार करने की दशा में अधिनियम की धारा 98 की उपधारा 1 (ग) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।
10. सदस्य बनने से पूर्व प्रात्येक आवेदक को एक घोषणा-पत्र हस्ताक्षर करना होगा, कि वह वर्तमान उपविधियों और उसकी सदस्यता के का में उनमें नियमानुसार किए गए संशोधनों या परिवर्तनों से बाध्य रहेगा।
11. कोई सदस्य सदस्यता के किन्ही अधिकारों को उपयोग न कर सकेगा जब तक कि वह उपरोक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर न कर देगा और जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में यूनियन को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने यूनियन में ऐसे हित अर्जित न कर लिया हो जो नियमों तथा इन उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

(द)-(क) कोई सदस्य यूनियन की सदस्यता से हटाया जा सकता है :-

1. उसने सदस्यता के लिए अधिनियम, नियमों और उपविधियों में अपेक्षित अर्हतायें न रही हो या उसने कोई अयोग्यता अर्जित कर ली हो।
 2. वह अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।
 3. वह विकृत चित्त का हो जाये।
- (ख) कोई सदस्य यूनियन की सदस्यता से निकाला जा सकता है:-**

1. यदि उसे यूनियन की किसी निधि या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या यूनियन की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई हो और ऐसे अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन दण्डित किया गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि वह दोष सिद्ध आदेश के विरुद्ध अपील में दोष मुक्त किये जाने के पश्चात या अर्थदण्ड का भुगतान करने के पश्चात जैसी भी दशा हो, यूनियन का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा।

2. यदि उसने यूनियन की उपविधियों का उल्लंघन करके यूनियन के हित को हानि पहुंचायी हो।
3. यदि यूनियन की उपविधियों के किन्ही उपबन्धों के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा गलत पाई जाये या किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण, दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को यूनियन से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे यूनियन को आर्थिक या विशेष हानि अथवा अन्य कठिनाईयां हुई हों।
4. किसी ऐसे सदस्य को जिसे उपरोक्त उपविधि के अधीन हटाया या निकाला हो प्रबन्ध समिति नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर या कारण बताने को कहेगी कि क्यों न उसे यूनियन की सदस्यता से यथास्थिति हटाया या निकाल दिया जाये। नोटिस का उत्तर निर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाये अथवा प्राप्त उत्तर प्रबन्ध समिति की राय में असंतोषजनक हो तो उक्त सदस्य प्रबन्ध समिति द्वारा उपरोक्त उपविधियों में उल्लिखित नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प से यथास्थिति हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा। ऐसे प्रयोजन

के लिए बुलाई गई प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्य-सूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भी भेजी जायेगी, जिसे हटाना या निकालना हो, और सम्बद्ध सदस्य की ऐसी बैठक के समक्ष यदि वह ऐसा करना चाहें, स्वयं अपने बारे में कहने का अधिकार होगा।

5. उपरोक्त आधार पर हटाये गये या निकाले गये सदस्य को अधिनियम की धारा 98 की उपधारा 1(ग) के अन्तर्गत निबन्धक को अपील करने का अधिकार होगा।
6. उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत तथा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन हटाया या निकाला गया यूनियन का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक यूनियन का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए यूनियन के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध समिति में निर्वाचन के लिए खड़े होने का भी पात्र न होगा।
7. किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जायेगी—
 - क) उसकी मृत्यु होने, या
 - ख) यूनियन से यथास्थिति हटाये जाने या निकाले जाने पर, या
 - ग) उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने, या
 - घ) उसके अंशों के निवृत्त होने या स्थानान्तरण पर अथवा उसके द्वारा घृत सभी अंशों के जब्त कर लिये जाने पर।

07. दायित्व :-

यूनियन के समाप्त हो जाने की दशा में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा सदस्यों का दायित्व अंशों के सम्बन्ध में उसके अंकित मूल्य तक सीमित होगा।

08. पूंजी :-

यूनियन की पूंजी निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अथवा समस्त संसाधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है—

- क अंश पूंजी
- ख. ऋण और अमानतें
- ग. अनुदान और दान
- घ. रक्षित निधि, अन्य निधि तथा लाभ
- ङ प्रवेश शुल्क

09. अंश, उनका मूल्य तथा भुगतान :-

1. यूनियन की अभिदत्त अंश पूंजी अनिश्चित संख्या में अंशों से बनेगी। प्रत्येक साधारण सदस्य द्वारा क्रय किये जाने वाले अंश का मूल्य 5000.00 रुपये होगा। राज्य सरकार द्वारा क्रय किये जाने वाले अंश का मूल्य 10000.00 रुपये होगा।

2. प्रत्येक साधारण सदस्य को सदस्यता दिये जाने के समय 50% अंशों की समस्त किश्त देनी होगी। अवशेष धनराशि संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित किश्त/किश्तों में देय होगी। यदि कोई सदस्य चाहे तो वह अंश की कीमत एक साथ अदा कर सकता है।
परन्तु, राज्य सरकार द्वारा क्रय किये जाने वाले अंश/अंशों का मूल्य एक ही किश्त में देय होगा।
3. राज्य सरकार को दिये गये अंश/अंशों को यूनियन इस प्रकार वापिस करेगी जैसा कि राज्य सरकार तथा यूनियन के बीच तय हो।
4. प्रत्येक सदस्य को कम से कम 05 अंश अवश्य क़य करना होगा। परन्तु कोई साधारण सदस्य यूनियन की कुल अंश पूंजी के दसवें भाग या जो धनराशि नियत की जाये, से अधिक के अंश न क़य करेगा और न धारित करेगा।
5. आवेदक को सदस्यता के आवेदन पत्र के आधार पर अंश दिये जाते ही यूनियन का सदस्य मान लिया जायेगा।
परन्तु, वह यूनियन के सदस्य के अधिकारों का उपयोग तब तक न कर सकेगा जब तक कि उसके द्वारा उपविधि में निर्दिष्ट घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर दिये गये हो।
6. प्रत्येक व्यक्ति को जिसे कोई अंश दिया जायेगा, बिना किसी व्यय के प्रमाण-पत्र पाने का अधिकार होगा। उसमें दिये गये अंश की सख्या और चुकाये गये धन का उल्लेख होगा। अंश के प्रत्येक प्रमाण-पत्र पर यूनियन के प्रबन्ध निदेशक और सभापति के हस्ताक्षर होंगे।
7. अंश प्रमाण-पत्र के खो जाने पर 10 रुपये जमा कराकर क्षतिपूर्ति पत्र (इण्डेम्निटी बॉण्ड) भराकर प्रमाण पत्र की प्रति दी जा सकती है।

10. अंश की जब्ती :-

1. यदि कोई सदस्य भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम दिन तक किसी अंश के सम्बन्ध में देय कोई धन नहीं चुकाता है तो प्रबन्ध समिति ऐसे सदस्य को नोटिस देकर आदेश कर सकती है कि वह निर्धारित स्थान और समय पर उक्त देय धन को ब्याज के सहित चुका दे। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि निर्धारित समय और स्थान पर इसका भुगतान न होने पर वह अंश जिस पर उक्त धन देय है, जमा किये गये सारे धन सहित जब्त किये जा सकते हैं और उन अंशों से संबन्धित सदस्यता के अधिकार समाप्त हो जायेंगे। इस भांति जब्त किये गये अंश जब्त की नोटिस की तिथि से 3 मास के अन्दर तक सारा बकाया और प्रति अंश एक रुपया नवीनीकरण शुल्क देकर पुनः जारी कराये जा सकते हैं। नवीनीकरण के लिए उपरोक्त 3 मास की उल्लिखित अवधि की समाप्ति के उपरांत इस भांति जब्त की गई धनराशि रक्षित निधि में जमा की जायेगी।
2. प्रबन्ध निदेशक तथा प्रबन्ध समिति एक सदस्य से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र, कि अंशों की जब्ती संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा हुई है, उसमें निर्दिष्ट तथ्य का अंतिम प्रमाण होगा।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा जब्त घोषित प्रत्येक अंश उसके बाद यूनियन की सम्पत्ति होगा और उसके बाद किसी भी समय उन शर्तों और रीति से जिन्हें प्रबन्ध समिति उचित समझे उसकी बिक्री अथवा पुर्ननिर्गमन या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण किया जा सकता है।

4. जिस सदस्य का अंश जब्त किया गया है वह जब्ती पर ध्यान दिये बिना, जब्ती के समय अंश के आधार पर बाकी सारे धन तथा अंशों की जब्ती के सम्बन्ध में फैंडरेशन द्वारा किये गये समस्त व्ययों के भुगतान का उत्तरदायी होगा।
5. जब तक जब्त किये गये अंश उपरोक्त विधि में पुनः बिक्री या वितरित या अन्य रीति से निस्तारित नहीं किये जाते तब तक प्रबन्ध समिति की स्वेच्छा और प्रस्ताव से जब्ती के समय यूनियन को प्राप्त सारी धनराशि निर्धारित समय के अन्दर चुकाने पर रियायत के तौर पर जब्ती से उन्मुक्ति दी जा सकती है।
6. यूनियन के किसी भी सदस्य द्वारा किसी समिति को अंशों का संक्रमण तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि—
 - क. वह अधिनियम, नियम और इन उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार न किया जाये,
 - ख. यूनियन को लिखित रूप में पूरे 30 दिन का नोटिस न दे दिया जाये, जिसमें प्रस्तावित अन्तरीति का नाम, उसकी सहमति और सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र, जहां आवश्यक हो और अन्तरीति द्वारा भुगतान करने के प्रस्तावित मूल्य इंगित हो,
 - ग. यूनियन को देय, अन्तरक के सभी दायित्व उन्मोचित न कर दिये जायें, और
 - घ. यूनियन फैंडरेशन की बहियों में पंजीकृत न कर लिया जाये।

11. उधार लेना :-

- (क) नियम 197 के अधीन रहते हुये यूनियन का अधिकतम दायित्व वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में निश्चित किया जायेगा, किन्तु उसकी स्वाधिकृत पूंजी के 15 गुना से अधिक न होगा।
- (ख) उपरोक्त ढंग से निश्चित अधिकतम दायित्व के अधीन यूनियन उस सीमा तक और उन शर्तों पर जिन्हें प्रबन्ध समिति समय-समय पर वित्तपोषक बैंक तथा निबन्धक की अनुमति से निश्चित करे, सदस्यों और गैर सदस्यों से विभिन्न प्रकार की अमानतें जैसे चालू, बचत, सावधि, आवर्तिक इत्यादि लेकर धन आदि एकत्र कर सकती है। यूनियन प्रोमिजरी नोट जारी करके अथवा भूमि भवन या समिति की अन्य सम्पत्ति बन्धन रखकर अथवा ऐसे अन्य साधन से भी जिसे प्रबन्ध समिति वित्तपोषक बैंक तथा निबन्धक की अनुमति से उपयोगी समझे, धन एकत्र कर सकता है।

12. संगठन तथा प्रबंध :-

यूनियन के कार्यों का प्रबंध निम्नलिखित में निहित होगा—

- (क) सामान्य निकाय
- (ख) संचालक मंडल
- (ग) सभापति/उप सभापति
- (घ) प्रबन्ध निदेशक

13. सामान्य निकाय :-

यूनियन की सामान्य निकाय का गठन अधिनियम, नियम एवं इन उपविधियों में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार निम्न रीति से किया जायेगा:-

1. प्रत्येक सदस्य समिति से यूनियन की सामान्य निकाय हेतु भेजे गये दो निर्वाचित प्रतिनिधि।
2. अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति।
3. प्रत्येक सदस्य निगमित निकास से एक प्रतिनिधि।

14. सामान्य बैठक :-

अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन यूनियन का अन्तिम अधिकार सदस्यों की सामान्य निकाय की बैठक में निहित होगा। सामान्य निकाय की बैठक निम्न प्रकार की होगी:-

(क) वार्षिक

(ख) अन्य सामान्य बैठक

(क) वार्षिक सामान्य बैठक :-

(अ) यूनियन प्रत्येक सहकारी वर्ष में, वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किये जाने और अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्तर्गत अपनी सामान्य बैठक अनिवार्यतः करेगी। वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे:-

- (ब) (1) प्रबन्ध कमेटी द्वारा अपनी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किये गये यूनियन के कार्य कलापों का अनुमोदन।
- (2) गत वित्तीय वर्ष के रोकड़ पत्र (बैलेन्स शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार सिवाय उस दशा के जबकि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।
- (3) गत वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर नियत रीति से विचार सिवाय उस दशा में जब नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।
- (4) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यूनियन का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।
- (5) शुद्ध लाभ का निस्तारण।
- (6) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाये जाये।

(स) अधिनियम की धारा 31 में किसी बात के होते हुये भी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध कमेटी के सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपरोक्त उपनियम (अ) के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाए और ऐसा न करने पर निबंधक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि, प्राधिकृत व्यक्ति सामान्य बैठक बुला सकता है।

यदि यूनियन की वार्षिक सामान्य बैठक उसके लेखों के परीक्षण होने से पूर्व किसी वर्ष में नियम 87 के अधीन हो तो उक्त उपविधि के संख्या- 14 (ब) के उपनियम "2" "3" और "5" में उल्लिखित विषयों पर समिति की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विचार किया जायेगा।

(ख). अन्य सामान्य बैठक :-

1. प्रबन्ध समिति यूनियन के कार्य सम्पादन के लिए जब-जब आवश्यक हो यूनियन के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक, जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा, बुला सकती है।
2. प्रबन्ध समिति निबंधक अथवा यूनियन के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अध्याचन प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर यूनियन की सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे असाधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा) बुलायेगा। प्रबन्ध समिति के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबंधक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिसका वह निर्देश दें, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।
3. सदस्यों द्वारा असाधारण सामान्य निकाय की बैठक के मांग-पत्र पर प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य लिखा होना चाहिए और उसे यूनियन के पंजीकृत कार्यालय में दे देना चाहिए।
4. सामान्य निकाय की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन की सूचना आवश्यक होगी। आगे बताई गई तिथियों के अतिरिक्त बैठक का नोटिस, तिथि, स्थान और समय तथा उसमें की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देते हुए हर सदस्य को सूचना निम्नलिखित किसी भी प्रकार से दी जायेगी।

(क) यूनियन के कार्य-क्षेत्र में ढिंढोरा पिटवा कर।

(ख) यूनियन न के कार्य-क्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान तथा फैंडरेशन के कार्यालय पर सूचना का नोटिस चस्पा कर।

(ग) नोटिस की किताब को सदस्यों के पास भेजकर उनके हस्ताक्षर कराकर या नोटिसों को सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग से सदस्यों को डाक द्वारा भेज कर।

यदि नोटिस द्वारा सूचना देने में कोई त्रुटि रह जाय तो सामान्य निकाय की कार्यवाही अवैधानिक न होगी।

5. सदस्यों की मांग पर हुई सामान्य निकाय की बैठक सूचना में निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार न होगा। अन्य बैठको में सभापति उक्त विषयों पर भी विचार की अनुमति दे सकता है जो विचाराधीन विषयों में सम्मिलित न हों।

15. बैठक के लिए गणपूर्ति :-

- (क) सामान्य निकाय के कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों में जो भी कम हो सामान्य निकाय की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) होगी।
- (ख) यदि बैठक के लिये निश्चित समय के आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक उस तिथि तथा समय के लिये स्थगित समझी जायेगी जैसा उपस्थित सदस्य निश्चित करें। ऐसी स्थगित बैठक के

लिये गणपूर्ति सामान्य निकाय के 1/10 अथवा 15 सदस्यों में जो भी कम हो गणपूर्ति से होगी।

प्रतिबन्ध यह है, कि यदि बैठक सदस्यों के अधिवाचन पर बुलाई गई है, तो यह निश्चित समय के एक घण्टे के भीतर गणपूर्ति के अभाव में विघटित हो जायेगी।

16. बैठक का सभापतित्व:-

प्रत्येक बैठक का सभापतित्व यूनियन का सभापति करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में फैंडरेशन का उपसभापति सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक को बैठक का सभापति चुनेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उपसभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उनका व्यक्तिगत हित हो।

17. बैठक में विषयों का निस्तारण :-

(क) किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है, कि प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य, किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करेगा, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो, जब तक अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो, किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष के मत के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाये तो सभापित संकल्प पर मतदान करा सकता है।

(ग) प्रत्येक सदस्य, प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति फैंडरेशन के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

18. चालक मण्डल:-

यूनियन का प्रबन्ध एक प्रबन्ध समिति में निहित होगा। जो यूनियन के समुचित कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।

प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (क) यूनियन की सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य, जिनमें एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा दो महिलायें होंगी।
- (ख) अधिनियम की धारा 34 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट 01 सरकारी सेवक तथा 01 गैर सरकारी व्यक्ति। प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी सेवक को समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत का अधिकार न होगा।
- (ग) सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अथवा यूनियन के उद्देश्यों और उसके द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों से सम्बन्धित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले 02 व्यक्ति, जिन्हें संचालक मण्डल सहयोजित (Co-opt) करें। प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार सहयोजित (Co-opt) सदस्य, यूनियन के किसी भी निर्वाचन में मतदान करने या यूनियन के किसी पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र न होगा।
- (घ) यूनियन का प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध समिति का पदेन सदस्य होगा।

19. प्रबन्ध समिति का सदस्य बने रहने की अनर्हता :-

- (1). कोई सदस्य यूनियन की प्रबन्ध समिति का न तो सदस्य चुना जायेगा और न बना रहेगा, यदि—
 - (क) अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा;
 - (ख) यूनियन के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करें या धारण करता हो;
 - (ग) यूनियन के सामान्य निकाय का सदस्य न हो;
 - (घ) वह अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।
- (2). यदि वह प्रबन्ध समिति की तीन लगातार बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहता है तो वह प्रबन्ध समिति का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।
- (3). उपरोक्त खण्ड-02 के उपबन्ध प्रबन्ध समिति के नाम निर्दिष्ट या पदेन संचालक पर लागू नहीं होंगे।
- (4). यूनियन की सदस्य समिति का कोई प्रतिनिधि जो समिति की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े, किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाये, आमेलन या नाम निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।
- (5). उक्त उपविधि के खण्ड – ग में निर्धारित अनर्हतायें प्रबन्ध समिति की किसी नाम निर्दिष्ट या पदेन सदस्य और ऐसे सहयोजित सदस्यों पर लागू न होगी जिनके सहयोजन के लिए साधारण निकाय की सदस्यता यूनियन की उपविधियों के अधीन एक शर्त न रही हो।

- 20. ज्यों ही प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य नियमों अथवा उपविधियों में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो प्रबन्ध समिति उस तथ्य पर इसी उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में विचार करेगा। ऐसी बैठक की कार्य-सूची की एक प्रति उस सदस्य को जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृत) भेजी जायेगी। यदि सम्बन्धित सदस्य को ऐसी अनर्हता/अनर्हताओं के कारण प्रबन्ध समिति की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाये तो संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृत) भेजी जायेगी।

तदुपरान्त ऐसे सदस्य को प्रबन्ध समिति अथवा उसकी किसी उप-समिति की बैठक में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि वह सदस्य ऐसे कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिनियम और नियमों के अधीन मध्यस्थ निर्णय करा सकता है।

21. उपविधि 19 के खण्ड 02 में अर्जित अनर्हता की दशा में उपविधि 20 में वर्णित संकल्प पारित किया जा सकता है तथा सम्बन्धित सदस्य को नोटिस दिया जा सकता है, परन्तु उसे सदस्य की हैसियत से कार्य करने से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि उसकी अनुपस्थिति उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत पर्याप्त कारण से हुई घोषित की गई हैं।

22. संचालक मंडल का कार्यकाल :-

- (1). उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 430, 459, 460 और 461 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय यूनियन की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 05 वर्ष होगा। प्रबन्ध समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगा।
- (2). नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।
- (3). प्रबन्ध समिति का कोई सहयोजित सदस्य प्रबन्ध समिति के अन्य सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करेगा।

23. संचालकों में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

प्रबन्ध समिति निर्वाचित सदस्यों के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को नाम निर्देशन अथवा सहयोजन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों से जिसके सम्बन्ध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, शेष अवधि के लिए भर सकेगी, यदि प्रबन्ध समिति की शेष अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है;

परन्तु यह कि यदि प्रबन्ध समिति में कोई अकस्मिक रिक्ति हो गई है और प्रबन्ध समिति की शेष अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन द्वारा शेष अवधि तक के लिए भरी जायेगी।

24. प्रबन्ध समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र :-

क. यूनियन का सभापति अपना त्याग-पत्र प्रबन्ध समिति को सम्बोधित करेगा एवं त्याग-पत्र फैंडरेशन का प्रबन्ध निदेशक प्रस्तुत करेगा जो उसे प्रबन्ध समिति की बैठक में यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा। प्रबन्ध समिति ऐसे त्याग-पत्र पर नियमानुसार निर्णय लेगी।

ख. संचालक अपना त्याग-पत्र यूनियन के सभापति को सम्बोधित करेंगे, जो उसे प्रबन्ध समिति की बैठक में यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा।

ग. यदि प्रबन्ध समिति त्याग-पत्र दिये जाने के 30 दिन के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो, सम्बन्धित सदस्य निबन्धक को प्रत्यावेदन देगा जो प्रबन्ध समिति को उक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे सकता है अथवा सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर देने के उपरान्त स्वयं निर्णित कर सकता है।

25. प्रबन्ध समिति की बैठक :-

(क) प्रबन्ध समिति, समिति का कार्य करने के लिए बैठक कर सकती है उसे स्थगित कर सकती है और जैसा वह उचित समझे बैठक का नियंत्रण कर सकती है। प्रबन्ध समिति की किसी बैठक में उठे प्रश्नों पर निर्णय बहुमत द्वारा होगा। समान मत होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) प्रबन्ध समिति के कोई तीन सदस्य, प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाने के लिए अध्याचन कर सकते हैं, अध्याचन में विचारणीय विषयों का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा ऐसा अध्याचन प्राप्त होने पर सभापति द्वारा प्रबन्ध समिति की बैठक 15 दिन के अन्दर बुलाकर अध्याचन में वर्णित विषय बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बहुमत से संकल्प पारित किया जायेगा।

(ग) यदि किसी बैठक में कोई सदस्य बहुमत की राय से मतभेद रखता है तो वह अपने मतभेद को कार्यवाही पुस्तिका में लिपिबद्ध करने का आग्रह कर सकता है, जिसे सभापति को लिपिबद्ध करना होगा।

26. प्रबन्ध समिति की बैठक की गणपूर्ति :-

प्रबन्ध समिति की बैठक की गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी। प्रबन्ध समिति की बैठक के लिए सात दिन का नोटिस आवश्यक होगा परन्तु विशेष एवं आपात परिस्थिति में तीन दिन के नोटिस पर भी प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाई जा सकती है।

27. प्रबन्ध समिति के साधारण अधिकार :-

यूनियन के कारोबार का संचालन और प्रबन्ध, प्रबन्ध समिति द्वारा होगा जिसे अधिनियम और नियमों तथा इन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसे सभी अनुबन्ध करने, ऐसी सभी व्यवस्था करने, ऐसी सभी कार्यवाहियाँ करने तथा ऐसे समस्त कार्य करने का अधिकार और इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा जो फ़ैडरेशन के कार्यों का उचित प्रबन्ध करने तथा जिन उद्देश्य से यूनियन की स्थापना हुई है, उनकी पूर्ति एवं यूनियन के हित तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक एवं उचित हो।

28. प्रबन्ध समिति के स्पष्ट अधिकार :-

इन उपविधियों द्वारा समर्पित आम अधिकारों की उपेक्षा किये बिना प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे:-

1. यूनियन की ओर से निबन्धक के विशेष तथा साधारण आदेशों के अनुसार अमानत तथा ऋण प्राप्त करना।
2. सदस्य भर्ती करना, अंश को आवंटन (Allotment) करना तथा अंशों के हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करना।

3. वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में फैंडरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन, सन्तुलन पत्र, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्राविधान तथा लाभ वितरण के ऋण के लिए प्राविधान तथा लाभ वितरण के सम्बन्ध में संस्तुतियां करना।
4. नियम 195 के उपबन्धों का पालन करते हुये समिति का करोबार चलाने हेतु कोई भूमि या भवन चाहे फ्री-होल्ड हो या लीज होल्ड अथवा अन्य प्रकार की हो, क्रय करना, लीज पर लेना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना।
5. यूनियन के कारोबार के प्रबन्ध में प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये अधिनियम, नियमों तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना।
6. धारा 122 में निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुये, यूनियन के कर्मचारियों की नियुक्ति कराना।
7. यूनियन की नकद धनराशियों और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना।
8. यूनियन द्वारा प्राप्त किसी पट्टे की शर्तों या समझौतों का पालन करना और सारे करों का यूनियन की ओर से भुगतान करना।
9. यदि आवश्यक हो तो यूनियन के सभी या किसी भवन, माल अथवा अन्य सम्पत्ति या अन्य प्रतिभूति (सिक्योरिटी) का या तो अलग से मिलाकर उस अवधि और सीमा तक के लिये बीमा कराना या उसे चालू रखना जिसे प्रबन्ध समिति उचित समझे और अधिकार के अनुसार किये गये किसी बीमा या बीमा-पत्र को बेचना, समर्पित करना अथवा उसे चालू रखना।
10. ऐसी सारी कार्यवाहियां और वाद जिन्हें प्रबन्ध समिति चलाना या प्रतिवाद करना आवश्यक या उचित समझे प्रारम्भ करना, चलाना, चालू रखना या प्रतिवाद करना या परस्पर समझौता कराना या मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना।
11. यूनियन की ओर से बैंक में तथा अन्य किसी सहकारी संस्था में अंश खरीदना और प्रतिनिधि भेजना।
12. सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता जैसे तकावी, अनुदान आदि का नियमानुसार वितरण व उनकी वसूली की व्यवस्था करना।
13. यूनियन के कार्यों के हित में आवश्यकतानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
14. यूनियन के कार्य संचालन हेतु उप नियमावली तैयार करना।
15. नियम 89 के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।
16. नियम 59 के अधीन लिखित रूप से अनुरोध करने पर निम्नलिखित किसी एक या एक से अधिक दस्तावेजों की एक या अधिक प्रमाणित प्रतिलिपियां निम्न निर्धारित शुल्क पर देना—
(क). किसी सदस्या को—

(1). यूनियन की पंजीकृत उपविधियों की एक प्रति— ₹0150/—

(2). प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची की प्रति— ₹0 02/— प्रति पृष्ठ परन्तु न्यूनतम 25/—रूपये

(3). अन्तिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र और वार्षिक लाभ हानि के लेखों की एक प्रतिलिपि— ₹0 02/— प्रति पृष्ठ परन्तु न्यूनतम 25/—रूपये

(4). यूनियन के साथ अपने लेन-देन की एक या अधिक अभिलेखों की प्रति— ₹0 02/— प्रति पृष्ठ परन्तु न्यूनतम 25/—रूपये

(ख). किसी साधारण सदस्या को—

- (1). यूनियन के सदस्यों की सूची – रु0 02/- प्रति पृष्ठ परन्तु न्यूनतम 25/-रुपये
- (2). यूनियन के साधारण निकाय या प्रबन्ध समिति अथवा किसी अन्य बैठक की कार्यवाहियों की प्रतिलिपि—रु0 02/- प्रति पृष्ठ परन्तु न्यूनतम 25/-रुपये।

17. नियम 397 के अधीन यूनियन के लेखों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये शुल्क निर्धारित करना।
18. उन प्रतिबन्धों और शर्तों के अन्तर्गत जिन्हें प्रबन्ध समिति समय-समय पर लागू करना उचित समझे तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक को कुछ अधिकार और कर्तव्य जो प्रबन्ध समिति को सौंपे गये हैं कार्यान्वित करने के लिये अधिकृत करना।
19. ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध समिति पर आरोपित हों अथवा सामान्य निकाय द्वारा सौंपे गये जाये।

29. संचालक मण्डल के कार्य की वैधता :-

अधिनियम की धारा-144 के अधीन रहते हुए, यूनियन के कार्य, यूनियन में रिक्त स्थान या किसी प्रबन्ध समिति के सदस्य की योग्यता की त्रुटि पर विचार किये बिना वैध समझे जायेंगे मानो कोई स्थान रिक्त न था और संचालक की योग्यता में कोई त्रुटि न थी।

30. बैठकों का स्थान :-

यूनियन के सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध समिति की बैठक यूनियन के मुख्यालय अथवा किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर होगी जो यूनियन की प्रबन्ध समिति निश्चित करे।

31. सभापति और उपसभापति :-

- (1) सभापति यूनियन के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा पथ-प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा प्रबन्ध समिति के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें, उपस्थित रहने पर यह नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा और आवश्यक परिस्थितियों (संकटकाल) में संचालक मण्डल के सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा। इस बात का निर्णय सभापित स्वयं और जैसा नियमों में अन्यथा उल्लिखित हो, निर्णय करेगा कि क्या ऐसी आवश्यक परिस्थिति (संकटकाल) आ गई है। वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि समिति का कारोबार दृढ़ रूप से और उपविधियों के अनुकूल चल रहा है।
- (2) उप-सभापति, नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय और प्रबन्ध समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा। ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रखते हुए सभापति द्वारा लिखित रूप से प्रतिनिहित किये जायें।

32. प्रबन्ध निदेशक :-

प्रबन्ध निदेशक यूनियन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो अधिनियम की धारा 31(क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक फ़ैडरेशन की प्रबन्ध समिति का पदेन सदस्य होगा। सभापति और प्रबन्ध समिति के ऐसे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए जिनकी व्यवस्था नियम या उपविधियों में की गई है वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा –

- (1) यूनियन के कार्य के सम्यक् प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन की प्रति उत्तरदायी होगा।
- (2) यूनियन की उपविधियों एवं प्रबन्ध समिति के प्रस्तावों के अनुसार स्वयं या संयुक्त रूप से उसके लेखों (एकाउन्ट्स) का परिचालन (आपरेट) करेगा तथा उसकी रोकड़ की अभिरक्षा का सुरक्षित प्रबन्ध करेगा।
- (3) यूनियन की ओर से और उसके लिए सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।
- (4) यूनियन की विभिन्न बहियों (रजिस्ट्रों) और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा।
- (5) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध समिति और कार्यकारिणी समिति और प्रबन्ध कमेटी द्वारा संगठित अन्य समितियों व उप समितियों की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रखेगा।
- (6) प्रबन्ध समिति की योजनाओं, उद्देश्यों एवं नीतियों के सृजन में सहायता करेगा।
- (7) प्रबन्ध समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुये नियमों एवं विनियमों के अधीन यूनियन के पदों पर नियुक्ति करेगा।
- (8) प्रबन्ध समिति की नियमकालिक सूचनायें यूनियन के परिचालन एवं कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा।
- (9) यूनियन की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और फ़ैडरेशन की रोकड़ बाकि और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना।
- (10) वचन-पत्रों सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और यूनियन की ओर से चैक और अन्य प्रक्रम में संलेख का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर तथा प्रक्रमण करना।
- (11) यूनियन के पक्ष में समस्त बन्धक-पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना।
- (12) यूनियन के बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुये तीन मास की अवधि के लिये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पदों पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है।
- (13) यूनियन के कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना।
- (14) यूनियन द्वारा उसके विरुद्ध या अन्यत्र यूनियन के मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रशमित या परित्यक्त करना और यूनियन द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना।
- (15) ऐसे विनियमों से, यदि कोई हो जिन्हें प्रबन्ध समिति बनाये, के अधीन रहते हुये, बातचीत करना और निर्माण कार्य के दौरान 10 लाख रुपये तक की प्रत्येक और उसके पश्चात् 05 लाख रुपये तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और यूनियन के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त किसी विषय के

- सम्बन्ध में यूनियन के नाम से और उसकी ओर से समस्त कार्य, कृत्य और बात करना।
- (16) अपना अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार रखते हुये, यूनियन के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार या विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना।
- (17) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों तथा यूनियन की उपविधियों एवं प्रबन्ध समिति के प्रस्तावों द्वारा उसपर आरोपित या प्रदत्त किये जाये।

33. बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां :-

सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति और यूनियन के प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

34. भत्ते तथा अन्य सुविधायें :-

यूनियन के सभापति/उपसभापति तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों को नियम 406, 407, 408, 409 व 410 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यातायात भत्तो एवं दैनिक भत्तो का भुगतान किया जायेगा।

35. सदस्यों के अंशधन आदि पर समिति का प्रभार :-

यूनियन देय किसी अदत्त मांग के सम्बन्ध में सहकारी समिति का प्रभार किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी में अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गई धनराशियों पर तथा किसी सदस्य अथवा विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश, बोनस अथवा लाभों पर होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी उस सदस्य या उसके दायदों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के नाम में या उन्हें देय किन्हीं धनराशियों में से उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि मुजरा कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वित्त पोषण बैंक का जिससे समिति सम्बद्ध हो, प्रभार उस वित्त पोषण बैंक में सहकारी समिति द्वारा रक्षित निधि (रिजर्व फण्ड) के रूप में जमा की गई किसी धनराशि पर न होगा, यदि यूनियन द्वारा लिये गये ऋण की कुल धनराशि में बैंक का अंश 75 प्रतिशत से कम हो, और न उसे यूनियन के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसी धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्त कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा।

36. लाभ वितरण :-

(अ) अधिनियम की धारा 58 में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार लाभ का वितरण किया जायेगा।

- (1) (क) शुद्ध लाभ में से कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित निधि में डाला जायेगा।
(ख) शुद्ध लाभ में से उतना प्रतिशत सहकारी सहकारी शिक्षा निधि में डाला जायेगा, जैसा कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम 155 में निर्दिष्ट किया गया हो।
- (2) समस्त बकाया ब्याज और वह सारा अर्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज उन सदस्यों से जिन पर बकाया बकाया हो, डिविडेन्ड (लाभांश) तथा बोनस और समिति की विभिन्न निधियों में धन का विविधान करने हेतु वितरणीय लाभ निकालने के लिये शुद्ध लाभ से निकाल दिया जायेगा।
- (3) शेष वितरणीय लाभ, नियमों के आधीन निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
(क) सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर बीस प्रतिशत से अनधिक दर से लाभांश का भुगतान।
(ख) सदस्यों को व्यापार की, जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर, उस सीमा तक और उस रीति से, जो नियमों या उपविधियों में निर्दिष्ट हों बोनस का भुगतान।
(ग) ग्राम सुधार निधि या अन्य किसी निधि का, जो नियमों या उपविधियों निर्दिष्ट की जाय संघटन या उसमें अशंदान।
- (4) चैरिटेबुल एन्डाउमेन्ट एक्ट 1892 की धारा 2-क में यथा पारिभाषित किसी पूर्व प्रयोजन के लिए 5 प्रतिशत से अधिक की धनराशियों का दान।
प्रतिबन्ध यह है कि कोई धनराशि ऐसे खैराती संघटन को दान में नहीं दी जायेगी जिसका उद्देश्य सीधे या परोक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल या धार्मिक संघटन को बढ़ावा देना हो।
- (5) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाने के लिये।
(ब) जो लाभांश चुकता न किया जायेगा उस पर समिति कोई ब्याज न देगी।
(स) जिस सदस्य पर अंश की कोई किश्तें बाकी होगी वह अपने अंश के चुकता धन पर लाभांश पाने का अधिकारी न होगा।
(द) यूनियन द्वारा देय कोई धनराशि यदि इण्डियन लिमिटेड एक्ट के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर नहीं मांगी जाती तो वह यूनियन की रक्षित निधि में जोड़ दी जायेगी।

37. लेखा पुस्तिका तथा रजिस्टर :-

- (क) प्रबन्ध समिति, यूनियन के कारोबार का सच्चा हिसाब किताब इस ढंग से रखने का प्रबन्ध करेंगे जिसे वह समिति का वास्तविक आर्थिक लेखा विवरण प्रदर्शित करने के लिये समय समय पर उचित समझे। नियम 385 के उपनियम (1) के अधीन हिसाब किताब ऐसे रजिस्ट्रों में और इस ढंग से रखा जायेगा, जिसे प्रबन्ध समिति आदेश दें।
- (ख) नियम 385 के उपनियम (2) की प्रयोजन के अतिरिक्त समिति किसी अभिलेख या लेखा पुस्तकों की छटनी नहीं करेगा।

38. लेखा-परीक्षा :-

यूनियन के लेखों की लेखा-परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर साधारण निकाय द्वारा नियुक्त ऐसे लेखा परीक्षक या लेखा फर्म से, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से हों, कराई जायेगी।

39. रक्षित निधि :-

- (1) यूनियन की रक्षित निधि को निबन्धक की स्वीकृति से नियम 192 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जायेगा।
- (2) नियम 189 के अधीन, रक्षित निधि अवितरणीय है और किसी सदस्य को उसके किसी विशेष हिस्से पर कोई दावा न होगा।

40. विवादों का निपटारा :-

तत्समय प्रचलित किसी विधि में, किसी बात के होते हुए भी यूनियन के संगठन, प्रबंध अथवा कार्य के संबंध में संघ के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विवाद से भिन्न कोई विवाद :-

- (क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच अथवा
- (ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति और समिति, उनके संचालक मण्डल, समिति के अधिकारी अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच अथवा
- (ग) यूनियन उसके प्रबन्ध समिति और यूनियन के किसी भूतपूर्व प्रबन्ध समिति, किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा यूनियन के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या उसके दायद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच, अथवा
- (घ) यूनियन और किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के बीच उत्पन्न हो तो यह अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबंधक को अभिर्दिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के संबंध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा कार्यवाही करने को क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

41. हानि का बट्टे खाते में डाला जाना :-

अधिनियम की धारा 125 के अधीन रहते हुए यदि यूनियन का कोई धन चोरी हो जाये अन्यथा अन्य प्रकार खो जाय जिसका वसूल होना असम्भव हो, अथवा यदि समिति का कोई ऋण पूरा या आंशिक रूप में वसूल होने योग्य न हो तो प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति प्राप्त कर उसे बट्टे खाते में डाल दें।

42. वित्त पोषण बैंक को निरीक्षण का अधिकार :-

वित्त पोषण बैंक को यह अधिकार होगा कि वह फैंडरेशन की बहियों तथा लेखा-जोखा का निरीक्षण कर सके।

43. यूनियन में अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों का रखना :-

यूनियन अधिनियम, नियमावली तथा अपनी उपविधियों की एक प्रति हर उचित समय में बिना किसी फीस के निरीक्षण के लिये अपने निबन्धित कार्यालय में उपलब्ध रखेगी।

44. . अंशदायी भविष्य निधि :-

(क) अधिनियम की धारा 63 में निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति कर्मचारियों हेतु अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना की जा सकेगी।

(ख) अंशदायी भविष्य निधि का विनियोजन अधिनियम और नियमों में निर्धारित ढंगों से किया जायेगा।

45. निर्वाचन नियम :-

प्रबन्ध समिति के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली तथा सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगा।

46. उपनियमों का अर्थ :-

(क) यदि उपविधियों की किसी धारा के अर्थ के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो प्रबन्ध समिति ऐसे मामले को निबन्धक के पास भेजेगी और इस विषय में निबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) यूनियन की उपविधियों में किसी बात के होते हुये भी यदि कोई नियम असंगत हो जाये तो तत्समय प्रचलित उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं तदन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में निर्दिष्ट प्राविधान प्रभावी होंगे।